5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(8)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

निग – 1000 – III – 16

प्रकरण क्रमांक /2016 ~~अपील~~ निगरानी

अमरसिंह पिता हरलाल, जाति माली
आयु 54 वर्ष, धंधा कृषि
निवासी– ग्राम चायनी तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म0प्र0

----- ~~अपीलान्ट~~ निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1 – अशोकसिंह पिता ओमप्रकाशजी तोमर
आयु 31 वर्ष, जाति राजपूत, धंधा कृषि
निवासी–ग्राम कालापीपल मण्डी तहसील कालापीपल
जिला देवास म0प्र0

2 – मध्य–प्रदेश शासन

---रेस्पान्डेन्ट्स/अनावेदकण

निगरानी ~~अपील~~ अन्तर्गत धारा 50 ~~(क)~~ म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन व्दारा प्रकरण क्र0 433/अपील/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 23–07–2015 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर अपील।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1000-तीन/2016 जिला शाजापुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र उपाध्याय अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 121, 115 तथा 116-नियम 7 तथा 8(धारा 121 के अधीन) नियमों में खसरा तैयार करने के लिये निर्देश और प्रक्रिया का उपबंध है - धारा 116 में न तो नया अधिकार सिद्ध किया जा सकता है और न नई प्रविष्टि ही की जा सकती है केवल अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है, उक्त प्रक्रिया का पालन किये बगैर विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	